

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-20/2021 (2021/39)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 27.01.2021

शीर्षक

1. कैलाशचन्द्र पुत्र बरदीचन्द जाट
2. भैरूलाल पुत्र बरदीचन्द जाट
3. शोभालाल पुत्र बरदीचन्द जाट
4. सन्तोकी पत्नी बरदीचन्द जाट
5. मगना पुत्र सवाईराम जाट

सर्व निवासी हरिपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. जमनी बेवा हरलाल जाट
2. देवीलाल पिता चम्पालाल जाट
3. शिवलाल पिता चम्पालाल जाट
4. रतनलाल पिता चम्पालाल जाट
5. मनोहरसिंह पिता किशनसिंह राजपूत
6. बद्रीलाल पिता जवाहरमल जाट
7. होकमीचन्द पिता रंगलाल जाट
8. अमरसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत
9. रामलाल पिता रतु भील
10. मांगु पिता मोती भील
11. शंकर पिता लेहरू सुथार
12. हीरालाल पिता छोगा जाट
13. मियाचंद पिता हांसु जाट
14. प्रकाश पिता अम्बालाल जाट

सर्व निवासी हरिपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर।

—विपक्षीगण

उपस्थिति— अधिवक्ता प्रार्थीगण:- श्री सुनील बापना
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-16.02.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का उल्लाई तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 134 रकबा 0.78 हे0, 137 रकबा 1.00 हे0, 138 रकबा 0.35 हे0, 232 रकबा 0.35 हे0, 235 रकबा 0.77 हे0, 236 रकबा 0.85 हे0, 248 रकबा 0.35 हे0, 250 रकबा 0.35 हे0, 251 रकबा 0.35 हे0, 252 रकबा 0.35 हे0, 253 रकबा 0.35 हे0, 254 रकबा 0.35 हे0, 255 रकबा 0.35 हे0, 256 रकबा 0.35 हे0, 257 रकबा 0.35 हे0, 258 रकबा 0.35 हे0, 259 रकबा 0.35 हे0, 260 रकबा 0.35 हे0, 261 रकबा 0.35 हे0, 262 रकबा 0.35 हे0, 263 रकबा 0.35 हे0, 264 रकबा 0.35 हे0, 265 रकबा 0.35 हे0, 266 रकबा 0.35 हे0, 267 रकबा 0.35 हे0, 268 रकबा 0.35 हे0, 269 रकबा 0.35 हे0, 270 रकबा 0.35 हे0, 271 रकबा 0.35 हे0, 272 रकबा 0.35 हे0, 273 रकबा 0.35 हे0, 274 रकबा 0.35 हे0, 275 रकबा 0.35 हे0, 276 रकबा 0.35 हे0, 277 रकबा 0.35 हे0, 278 रकबा 0.35 हे0, 279 रकबा 0.35 हे0, 280 रकबा 0.35 हे0, 281 रकबा 0.35 हे0, 282 रकबा 0.35 हे0, 283 रकबा 0.35 हे0, 284 रकबा 0.35 हे0, 285 रकबा 0.35 हे0, 286 रकबा 0.35 हे0, 287 रकबा 0.35 हे0, 288 रकबा 0.35 हे0, 289 रकबा 0.35 हे0, 290 रकबा 0.35 हे0, 291 रकबा 0.35 हे0, 292 रकबा 0.35 हे0, 293 रकबा 0.35 हे0, 294 रकबा 0.35 हे0, 295 रकबा 0.35 हे0, 296 रकबा 0.35 हे0, 297 रकबा 0.35 हे0, 298 रकबा 0.35 हे0, 299 रकबा 0.35 हे0, 300 रकबा 0.35 हे0, 301 रकबा 0.35 हे0, 302 रकबा 0.35 हे0, 303 रकबा 0.35 हे0, 304 रकबा 0.35 हे0, 305 रकबा 0.35 हे0, 306 रकबा 0.35 हे0, 307 रकबा 0.35 हे0, 308 रकबा 0.35 हे0, 309/141 रकबा 0.17 हे0, 38 रकबा 1.00 हे0 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 6.26 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 25 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। परोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का उल्लाई तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 134 रकबा 0.78 हे0, 137 रकबा 1.00 हे0, 138 रकबा 0.23 हे0, 232 रकबा 0.35 हे0, 235 रकबा 0.77 हे0, 236 रकबा 0.85 हे0, 248 रकबा 0.25 हे0 किस्म चाही, 25 रकबा 0.40 हे0, 26 रकबा 0.49 हे0, 309/141 रकबा 0.17 हे0, 38 रकबा 1.00 हे0 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 6.26 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 25 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1650/- (एक हजार छः सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1650/- (एक हजार छः सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा, गंगापूर को तहरीर जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


जिला अधिकारी
(विकास पंचायती)
उपसहायक जिला अधिकारी
गंगापूर(भीलवाड़ा) 2.